

1922 के पूर्व कांग्रेस
उपलाब्धियों - महत्त्व :-

- 1923 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा विशेषकर केन्द्रीय विधानसभा में।
- 1925 में विठ्ठल भाई पटेल को केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करने में भी स्वराज पार्टी के लोगों की सफलता मिली।
- द्वैध शासन 1919 का अधिनियम तथा ब्रिटिश सरकार की नीतियों की कमियों को उजागर किया।
जैसे - Jinnah dispute act एवं Public Safety Bill से संबंधित कमियों को लोगों के समक्ष रखा।
- निरंतर सरकार से विधानमण्डल में विरोध किया, असहयोग किया और एक प्रकार से विधानमण्डल में असहयोग आन्दोलन को जारी रखा।
- असहयोग आन्दोलन के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक शून्यता को भरने का कार्य किया।
- संसदीय राजनीति में भाग लेकर कुछ वर्षों तक सरकार समर्थकों की गतिविधियों को नियंत्रित रखा।
- संसदीय कार्य प्रक्रिया का जो अनुभव हुआ वह भागे चलकर उपयोगी साबित हुआ।

- संसदीय राजनीति भी अंग्रेजों के विरोध का एक महत्वपूर्ण अंग हो सकता है इस तथ्य को भी स्थापित किया।

नोट :-

- 1926 के चुनाव में स्वराजियों का प्रदर्शन बेहतर नहीं था।
- 1925 में चितरंजन दास की मृत्यु, कुछ स्वराजी नेताओं के द्वारा सहयोग का निर्णय, साम्प्रदायिकता का प्रभाव तथा निरंतर विरोध की राजनीति की सीमा इत्यादि कारणों से स्वराज पार्टी की स्थिति कमजोर हुई।

प्रत्युत्तरवादी :-

इन स्वराजी नेताओं को कहा गया है जो सरकार के साथ सहयोग करना चाहते थे जैसे -
लामयहराज, मालवीय जी, एन. सी. केलकर इत्यादि।

परिवर्तन विरोधी :-

जो चुनाव में भाग लेने के पक्ष में नहीं थे उन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया है।

प्रमुख नेता :-

राजगोपालाचारी, ए. ए. शंकराजी
बलभद्र पटेल, राजेन्द्र प्रसाद
(गांधीवादी नेता)

विचार-

इनका मत था चुनाव में भाग लेने से परापर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा होगी और मुख्य लक्ष्य से भटक जाएंगे अतः राष्ट्रीय आन्दोलन कमजोर ही होगा।

गतिविधियाँ:-

- आखिल भारतीय स्तर पर रचनात्मक कार्यों का प्रसार, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे का विस्तार, देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़े बड़े आश्रम एवं शिक्षा केन्द्रों का प्रसार जैसे- बारदोली - वेदजी आश्रम - जनजातीयों के कल्याण के लिए।

नोट:-

- 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन

↳ अध्यक्ष-महात्मा गांधी

- 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन

↳ अध्यक्ष - सरोजनी नायडू (प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष)

नोट:-

1918 में राष्ट्रीय उदारवादी संघ नामक राजनीतिक दल का गठन।

↳ सुरेन्द्र नाथ बनर्जी एवं अन्य उदारवादी नेता

• 1923 में बोरसाद सत्याग्रह (गुजरात)

नेता- बल्लभभाई पटेल

सारमन आयोग का गठन

ऊत, ऊपों, समपसे पूर्व, भारतीपों के द्वारा तिरोध

- 1924 में सारमन की अक्षमता में 7 सदसपीप आयोग का गठन। ये सभी ब्रितिश संसद के सदस्य थे।

ऊपों:

- 1919 के अधिनियम में प्रावधान था कि 10 वर्षों के पश्चात अधिनियम की समीक्षा एवं अगामी सेवैधानिक सुधारों के लिए एक आयोग का गठन किया जाए।

समप पूर्व ऊपों:-

- ब्रितैन में तीरी दल की सरकार भी और अगामी पुनाव में इसे हारने का डर था। इसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लेबर पार्टी की सरकार भारतीपों को अधिक रिपायत दे सकती है
- भारत में सम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे ऐसी तस्थिति में आयोग सम्माना रिपोर्ट तैपार कर सकता था।

भारतीपों के द्वारा तिरोध:-

- आयोग में एक भी भारतीपों को शामिल नहीं किया

गया था जिसको आधार बनाकर कई पार्टियों ने इसका विरोध किया।

जैसे- कांग्रेस, मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट, उदारवादी दल इत्यादि।

नोट :- पंजाब की पुनियुक्ति पार्टी, मद्रास का न्यायफल मुस्लिम लीग का राफी गुट, और डॉ अम्बेडकर ने आपोग का समर्थन किया।

- दिसम्बर 1924 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में आपोग के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया (अध्यक्ष - एम.ए. अन्सारी)
- 1928 में आपोग ने दो बार भारत की यात्रा की, जिन शहरों में आपोग की यात्रा हुई वहीं आपोग को काले झंडे दिखाए गए।
- विरोध के क्रम में लाहौर में लाजपत राय को चोट लगी और उनका निधन हुआ।
- भारतीयों के विरोध को देखते हुए भारत साचिव बर्किन्हेड ने यह चुनौती दी कि भारतीय राजनीतिज्ञ दल सर्वसम्मति से राजनीतिक सुधारों पर कोई प्रस्ताव पेश करें।
- इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में एक सर्वदलीय समिति बनाई गई और 1929 में ही संबंधित सुधारों पर नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया।

नोट-

दिल्ली प्रस्ताव - 1927 - जिन्ना

- केन्द्रीय विधानमण्डल में मुसलमानों के लिए 113 सीटों का आरक्षण हो।
- बंगाल एवं पंजाब में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो।
- सिंध उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए।
- प्रत्येक निर्वाचन के स्थान पर संप्रभु निर्वाचन को लेकर सहमत।

जेहर रिपोर्ट

- भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए
(व्यापक स्वायत्तता)
- भारत में केन्द्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार का गठन।
- प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार।
- केन्द्र एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास हों।
- प्रांतों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन का समर्थन।
- अल्पसंख्यकों को संस्कृति के संरक्षण का अधिकार
- अल्पसंख्यकों के लिए विधानमण्डल में आरक्षण का प्रावधान।

- बड़ी संख्या में अधिकारों की मांग जैसे- तत्काल
मताधिकार, संगठन बनाने की स्वतंत्रता इत्यादि।
- सिंध एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पृथक्
प्रांत का दर्जा दिया जाए।
- संयुक्त निर्वाचन की मांग।

नेहरू रिपोर्ट का विरोध

- चूंकि जिन्ना की मुख्य मांगों को महत्व नहीं
दिया गया तो जिन्ना पुनः शफी गुट के साथ
मिल गए और मार्च 1929 में मुसलमानों के लिए
14 बुद्धि मांग को सामने रखा।
- कांग्रेस के भीतर ही जवाहर लाल नेहरू और
सुभाष चन्द्र बोस ने इंडियेंडेंस फार इंडिया लीग
नामक संस्था बनाई इसका लक्ष्य था कांग्रेस को
पूर्ण स्वराज के लिए प्रेरित करना।
- 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह
प्रस्ताव पारित हुआ, यदि एक वर्ष के भीतर नेहरू
रिपोर्ट को नहीं माना गया तो कांग्रेस का लक्ष्य
होगा पूर्ण स्वराज।

नोट- सामान रिपोर्ट:-

- भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया
जाए।
- केन्द्र में उत्तरवासी सरकार का गठन नहीं किया जाए।

- शांत में द्वैध शासन की समाप्त कर उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए।
- पृथक् निर्वाचन का विस्तार किया जाए तथा दलित समाज को भी इसमें शामिल किया जाए।
- संघीय विधानमण्डल (केंद्रीय विधानमण्डल का संघात्मक ढांचे के आधार पर पुनर्गठन किया जाए।

दिसम्बर 1929 लाहौर अधिवेशन

अध्यक्ष - जवाहर लाल नेहरू

- पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित।
- प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता की शपथ ली जाएगी (1930 से प्रारम्भ)
- तिरंगा फहराया गया
- कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सविनय अवज्ञा आन्दोलन को प्रारम्भ करने के लिए अधिकृत किया गया।

जनवरी 1930 गांधी जी की 11 सूत्री माँग

- सिविल सेवा के व्यप में 50% की कटौती की जाए।
- सैनिक व्यप में 50% की कटौती की जाए।
- भू-राजस्व में कटौती की जाए।

- कपड़ा उद्योग एवं नौपरिवहन की संरक्षण दिया जाए।
- राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए।
- नमक कर को समाप्त किया जाए एवं नमक निर्माण पर से सरकार का नियंत्रण समाप्त किया जाए।



सविनय अवज्ञा आन्दोलन - 1930-34

कारण :-

- गांधी जी के संघर्ष विराम-संघर्ष की रणनीति का अंगला चरण था सविनय अवज्ञा आन्दोलन।
- अखिलमोच के पश्चात परिवर्तन समर्थक एवं परिवर्तन विरोधियों की गतिविधियों से कांग्रेस के संगठनात्मक ढाँचे एवं सामाजिक आधार का विस्तार हुआ।
- सारमन आमोच के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष का राष्ट्रीय स्तर पर वातावरण निर्मित हुआ।
- संविधान सुधार के मुद्दे पर सरकार एवं कांग्रेस में गतिरोध बना हुआ था इसे हम सारमन आयोग के गठन, जेहूर रिपोर्ट में देख सकते हैं।
- कांग्रेस के बाहर भी राजनीतिक गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ जैसे क्रांतिकारियों एवं मार्क्सवादियों के द्वारा।
- 1929 में महमंदा की शुरुआत में आन्दोलन के लिए अनुकूल परिस्थितियों निर्मित हुई।
- इसी पृष्ठभूमि में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया तथा गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को महत्व नहीं दिया गया तथा गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा

की शुरुआत हुई।

Note:-

12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती कार्यक्रम से दांडी तट के लिए यात्रा प्रारम्भ करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को उल्लंघन किया। इस कानून के अंतर्गत लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़ने तथा सरकारी नौकरी एवं विधान मण्डल से त्यागपत्र देने को कहा गया।

किसानों को भू-राजस्व न देने को कहा गया तथा शराब की दुकानों पर धरना का भी आह्वाहन किया।

KGS IAS

